

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गढ़वा।

(जिला सामान्य शाखा)

पत्रांक-13.6.0/सा०, दिनांक-18/12/25

प्रेषक,

उपायुक्त,
गढ़वा।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जैप आई०टी०, राँची।

विषय:- झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गढ़वा में गृह रक्षकों का नव-नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन लेने तथा विज्ञापन की प्रति जैप आई०टी०, राँची के पोर्टल पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जिला गढ़वा में गृह रक्षकों का नव-नामांकन (बहाली) हेतु ऑनलाईन आवेदन लिया जाने हेतु आपके द्वारा URL (<https://recruitment.jharkhand.gov.in>) उपलब्ध करा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिला चयन समिति द्वारा उक्त URL पर दिनांक-26.12.2025 से 24.01.2026 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि उक्त विधियों को ऑनलाईन आवेदन हेतु URL आवेदको को उपलब्ध कराने एवं विज्ञापन की कॉपी जैप आई०टी०, राँची के पोर्टल पर प्रकाशित की जाय।

अनुलग्नक:-

- विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन (ग्रामीण/शहरी) प्रपत्र का प्रारूप।
कुल-07 (सात) पृष्ठों में।

उपायुक्त,
गढ़वा।

प्रतिलिपि:-

- डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
निदेश है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप आई०टी०, राँची से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।

उपायुक्त,
गढ़वा।

गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन।

1. गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन अलग-अलग जमा करेंगे।

नोट- (अ) गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक /सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्ही उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों।

(ब) झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 04(चार) वर्ष के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉण्ड 4(चार) वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, उनका पुनर्नामांकन कंडिका-06 के अन्तर्गत किया जाता है।

2. गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियाँ निम्नवत् है, जो घट/बढ़ सकती है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति-

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	रिक्तियाँ		कुल
		पुरुष	महिला	
1	गढ़वा	25	25	50
2	मेराल	24	24	48
3	रमुना	14	14	28
4	नगर	19	19	38
5	सगमा	14	14	28
6	धुरकी	34	34	68
7	भवनाथपुर	30	30	60
8	खरौधी	19	19	38
9	मझिआँव	14	14	28
10	कांडी	12	12	24
11	बरडीहा	35	35	70
12	रंका	07	07	14
13	भंडरिया	08	08	16
14	रमकंडा	07	07	14
15	चिनिया	06	06	12
16	बड़गड	31	31	62
17	केतार	20	20	40
18	विशुनपुरा	37	37	74
19	डण्डई	10	10	20
20	डण्डा	34	34	68
कुल-		400	400	800

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्तियाँ :-

कुल शहरी रिक्तियाँ	पुरुष	महिला
10	05	05

ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों की कुल रिक्तियाँ -810

Am

[Signature]

उपरोक्त दोनों कोटि—(ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक)के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 5 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने पर उक्त 5 प्रतिशत पद पर पुनः विचार महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर-तकनीकी/तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3.अर्हता:-

(क) आवासीय:-

i. **ग्रामीण गृह रक्षक:-** अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के उस प्रखण्ड का स्थाई निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

ii. **शहरी गृह रक्षक:-** अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

(ख) उम्र सीमा:- 01-01-2025 को 19 से 40 वर्ष।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

(ग) शैक्षणिक योग्यता:-

i. ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7 वीं पास।

ii. शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10वीं) पास।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

(घ) शारीरिक मापदण्ड:- (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान)

i. लम्बाई:- पुरुष- 162 से0मी0 (सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी.)

• 157 से0मी0 (अ.ज.जा./अ.जा..)

महिला:- 148 से0मी0 (सभी के लिए)

ii. शीना:- पुरुष- 79 से0मी0 (सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी.)

76 से0मी0 (अ.ज.जा./अ.जा..)

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

(ड) तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए):- अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत/स्वयंयोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा - विकीट्राक, अगियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर,

शु
16/11/2025

अ.जा.

अ.जा.

टंकक, लाईरोसाधारी वालक (एच.एम.जी./एल.एम.जी.) रसोईया, बढई, मोची, धोबी, नाई, बिजली गिरनी, गाली, पलम्बर आदि।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

4.चयन प्रक्रिया:- गृह विभाग झारखण्ड सरकार राँची की अधिसूचना संख्या 5442, दिनांक 20.10.14 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(क) शारीरिक जाँच परीक्षा:- उसाके अन्तर्गत 1मील की दौड़ उँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत् प्रदान किया जायेगा।

(i) प्राणीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1मील)	5 मिनट या पहले-20 अंक 5 से अधिक 6 मिनट तक -10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले- 20 अंक 8 से अधिक 10 मिनट तक -10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
उँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट - 5 अंक (ख) 4फीट-4फीट 3इंच - 6 अंक (ग) 4फीट 3इंच-4फीट 6इंच - 7 अंक (घ) 4फीट 6इंच -4फीट 9इंच - 8 अंक (च) 4फीट 9इंच -5फीट - 9 अंक (छ) 5फीट से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट - 5 अंक (ख) 3फीट-3फीट 3इंच - 6 अंक (ग) 3फीट 3इंच-3फीट 6इंच - 7 अंक (घ) 3फीट 6इंच-3फीट 9इंच - 8 अंक (च) 3फीट 9इंच-4फीट - 9 अंक (छ) 4फीट से अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट - 5 अंक (ख) 12फीट-13फीट - 6 अंक (ग) 13फीट -14फीट - 7 अंक (घ) 14फीट-15फीट - 8 अंक (च) 15फीट-16फीट - 9 अंक (छ) 16फीट से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 9फीट-10फीट - 6 अंक (ग) 10फीट-11फीट - 7 अंक (घ) 11फीट-12फीट - 8 अंक (च) 12फीट-13फीट - 9 अंक (छ) 13फीट से अधिक - 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड-न्यूनतम - 16 फीट	10 पौण्ड-न्यूनतम - 10 फीट

तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए:-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1मील)	6 मिनट या पहले -20 अंक 6 से अधिक 8 मिनट तक -10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले - 20 अंक 8 से अधिक 12 मिनट तक-10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
उँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5फीट - 5 अंक (ख) 4 फीट और अधिक -10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट 5 अंक (ख) 3 फीट और अधिक -10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 10 फीट और अधिक -10 अंक	(क) न्यूनतम 6 फीट - 5 अंक (ख) 7 फीट और अधिक -10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड- न्यूनतम - 12 फीट	10 पौण्ड-न्यूनतम - 8 फीट

(ख) हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा:- शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें प्राणीण गृह रक्षकों के लिए 7 वीं कक्षा तथा शहरी

20/10/2015

20/10/2015

Handwritten signature

गृह रक्षकों के लिए 10 वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा:— (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) : शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(घ) रागी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	6 अंक	3 अंक
द्वितीय	4 अंक	2 अंक
तृतीय	2 अंक	1 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों का शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिये जायेंगे:—

स्नातकोत्तर	— 10 अंक
स्नातक	— 8 अंक
इण्टरमीडिए	— 6 अंक
मैट्रिक	— 4 अंक

7. आवेदन कैसे जमा करें :- ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट— <https://recruitment.jharkhand.gov.in> पर उपलब्ध है। आवेदक केवल JAP IT राँची, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये वेबसाइट— <https://recruitment.jharkhand.gov.in> पर ही दिनांक—~~26-12-25~~ से दिनांक—~~24-01-2026~~ तक अपना आवेदन ONLINE (ऑन-लाईन) कर पायेंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा OFFLINE/POST के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 (एक सौ) रुपये है। जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है।

8. ऑन-लाईन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण-पत्र, स्वअभिप्रमाणित (Self attested) पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।

9. आवेदक अपना आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र (तकनीकी गृह रक्षकों के लिए), कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि कार्य अनुभव हो तो), खेलकूद से संबंधित प्रमाण-पत्र (केवल राष्ट्रीय एवं

20
16/11/2025

S.P.

- राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान पर वयनित हुए हों तो) को ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।
10. एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
 11. अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑन- लाईन आवेदन में मांगी गई सगी विवरणी को पूर्णरूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
 12. आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में एन०आई०सी० कार्यालय गढ़वा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
 13. आवेदक द्वारा आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑन-लाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।
 14. जॉच/परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।
 15. अभ्यर्थी द्वारा ऑन-लाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जायेगा।

16/11/2015
जिला समादेष्टा, झारखण्ड
गृह रक्षा वाहिनी, गढ़वा।
(सदस्य)

पुलिस अधीक्षक,
गढ़वा।
(सदस्य)

उपायुक्त,
गढ़वा।
(अध्यक्ष)

- 1 आवेदक का नाम
 - 2 पिता/पति का नाम
 - 3 लिंग: पुरुष/महिला
 - 4 वैवाहिक स्थिति: विवाहित/अविवाहित
(महिला जो तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा हों तो उल्लेख करें)
 - 5 जन्म तिथि:/...../.....
 - 6 दिनांक 01 01 2025 को उम्र: वर्ष माह दिन
 - 7 कोटि सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी./अ.जा./अ.ज.जा.
 - 8 स्थायी पता: ग्राम पोस्ट पंचायत
प्रखण्ड थाना जिला
पिन कोड
 - 9 वर्तमान पता: ग्राम पोस्ट पंचायत
प्रखण्ड थाना जिला
पिन कोड
 - 10 शैक्षणिक योग्यता:
 - 11 यदि राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हों तो उसका विवरण:
 - 12 शारीरिक माप ऊँचाई: सेंटीमीटर।
रीना(शिर्फ पुरुष के लिए): सेंटीमीटर।
 - 13 शारीरिक पहचान के दो चिह्न (i).....
(ii).....
- अनुलग्नक: (प्रमाण पत्रों की सूची)
- | | | |
|----------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |
| 10. | | |

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। गलत पाये जाने पर तत्क्षण ही मेरी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

स्थान:
दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गढ़वा।
प्राणी गृह रक्षक में नामांकन के लिए आवेदन की पावती रसीद
विज्ञापन संख्या- 01/2025
प्रखण्ड का नाम-

कमाक दिनांक

आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम
ग्राम पोस्ट	पंचायत
थाना प्रखण्ड	जिला

प्राधिकृत प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
जिला समादेश कार्यालय
झा0गृ0र0वा0.
गढ़वा।

गढ़वा जिला के शहरी गृह रक्षा में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप
विज्ञापन संख्या- 01/2025

गैर तकनीकी/तकनीकी दक्ष
(उल्लेख करें)

स्वअभिप्रेमणित
हल का फोटो

- 1 आवेदक का नाम
 - 2 पिता/पति का नाम
 - 3 लिंग: पुरुष/महिला
 - 4 वैवाहिक स्थिति: विवाहित/अविवाहित
(महिला जो तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा हों तो उल्लेख करें)
 - 5 जन्म तिथि:/...../.....
 - 6 दिनांक 01 01 2025 को उम्र: वर्ष..... माह..... दिन.....
 - 7 कोटि: सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी./अ.जा./अ.ज.जा.....
 - 8 स्थायी पता: ग्राम/मुहल्ला वार्ड संख्या
पोस्ट थाना प्रखण्ड
जिला पिन कोड
 - 9 वर्तमान पता: ग्राम/मुहल्ला वार्ड संख्या
पोस्ट थाना प्रखण्ड
जिला पिन कोड
 - 10 शैक्षणिक योग्यता:
 - 11 यदि किसी कार्यालय में कार्यरत हों अथवा स्वनियोजित हों तो कार्यस्थल के पता सहित उराका विवरण:
 - 12 तकनीकी दक्षता/ड्रेड का विवरण (यदि कोई हो) :
 - 13 यदि राष्ट्र/राज्य सार्वीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हों तो उराका विवरण:
 - 14 शारीरिक माप - उंचाई: सेंटीमीटर।
शोना(सिर्फ पुरुष के लिए): सेंटीमीटर।
 - 15 शारीरिक पहचान के दो चिह्न (i).....
(ii).....
- अनुलग्नक: (प्रमाण पत्रों की सूची)
- | | | |
|----------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |
| 10. | | |

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। गलत पाये जाने पर तदनुषंग ही मेरी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

स्थान:
दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा।

शहरी गृह रक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की पानती रसीद

विज्ञापन संख्या-01/2025

गैर तकनीकी/तकनीकी दक्ष.....
(उल्लेख करें)

स्वअभिप्रेमणित
हल का फोटो

दिनांक:

कर्मिक:

आवेदक का नाम पिता/पति का नाम

ग्राम/मुहल्ला वार्ड संख्या पोस्ट

थाना प्रखण्ड जिला

प्राधिकृत प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
जिला समादेष्टा कार्यालय
झा0गृ0र0वा0.
गढ़वा।